

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	<p style="text-align: center;">खण्ड पीठ श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य -----</p> <p>उपस्थित :- श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलार्थी श्री एन.के.गोयल, अभिभाषक रेस्पो0 सं.1 व 2</p> <p style="text-align: center;">निर्णय</p> <p>यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17-2-05 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।</p> <p>अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी रेस्पोडेंट्स सं.1 व 2 ने एक राजस्व वाद इस्तकरारहक, दुरुस्ती इंद्राज व स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध प्रतिवादी अपीलार्थी न्यायालय सहायक कलेक्टर टोंक के समक्ष अपील ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 753 रकबा 2.74 हैक्टर काना के नाम दर्ज की गई थी उसमें वादीका आवंटित रकबा 1.39 हैक्टर भी गलत सम्मितलित कर दिया तथा काना ने भूमि अपने नाम दर्ज होते ही जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र अपीलांट को हस्तांतरण कर दी। जिसका उसे अधिकार नहीं थी। अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जावे। परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर टोंक ने उभय पक्ष को सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23-8-97 द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया। जिससे असन्तुष्ट हो कर अपीलांट ने प्रथम अपील, भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक के यहां प्रस्तुत की। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 17-2-05 द्वारा निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है।</p> <p>विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय न्याय, नियम एवं रिकोर्ड से परे है। वादी अपने वाद में स्वयं यह कह कर आया है कि प्रतिवादी काना को आराजी खसरा नंबर 353 में से 5 बीधा 8 बिस्वा भूमि दिनांक 25-1-69 एवं बाद में इसी खसरा</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	<p>नंबर 353/1/15 में 6 बीधा 7 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी तथा दो बार आवंटन होना बताते हुये रकबा 2.74 हेक्टर हाल खसरा नंबर 753 कायम होने का कथन किया। बाद का आवंटन दिनांक 20-3-70 को वादी ने अवैध बताया किंतु जब तक काना को किया गया आवंटन 20-3-70 निरस्त नहीं करा लिया जाता तब तक आवंटन को नियत विरुद्ध नहीं माना जा सकता। परीक्षण न्यायालय ने आराजी खसरा नंबर 753 के कुल रकबा 2.74 हेक्टर में 1.39 हेक्टर भूमि वादी की मानते हुये अपीलांट की खातेदारी में से कम करने का जो निर्णय पारित किया है वह क्षेत्राधिकार रहित है। परीक्षण न्यायालय का निर्णय आदेश 20 नियम 4(2) व आदेश 20 नियम 5 सीपीसी के अनुसार नहीं है। प्रतिवादी अपीलांट ने विवादित आराजी काना पुत्र छोगा से जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र द्वारा खरीदी है तथा काना विवादित आराजी का रिकोर्डेड खातेदार था। अपीलांट सद्भावी खरीददार था। अपीलांट के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र न तो शून्य था न शून्यकरण। विक्रय पत्र को निरस्त कराये बिना रेस्पोंडेंट का वाद घोषणा खातेदारी संधारण योग्य नहीं था। अपीलांट विवादित आराजी पर काबिजकाश्त है तथा कब्जे के अभाव में भी वाद का वाद चलने योग्य नहीं था। काना ने वादी के साथ राजीनामा कर यह माना कि विवादित आराजी उसके खाते में गलत दर्ज कर दी गई जबकि काना उक्त भूमि अपीलांट को बेच चुका था। काना को राजीनामा करने का कोई अधिकार नहीं था। राजीनामों के आधार पर परीक्षण न्यायालय ने वाद को डिक्री कर अपने अधिकार का गलत उपयोग किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों को उसके समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन, परिशीलन एवं विवेचन विश्लेषण करते हुये विधि अनुसार निष्कर्ष दिया जाना चाहिये। परीक्षण न्यायालय ने वादीगण का वाद रिकोर्ड से परे डिक्री किया था। अपीलीय न्यायालय ने भी गलत रूप से परीक्षण न्यायालय का निर्णय बहाल रखते हुये अपीलांट्स की अपील मनमाने तौर पर खारिज की है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि विरुद्ध होने से खारिज किये जाकर यह द्वितीय अपील स्वीकार की जावे।</p> <p>विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये बहस में कहा कि विवादित आराजी वादी के पिता को आराजी खसरा नंबर 353/1 में से 7 बीधा भूमि दिनांक 20-3-70 को विधिवत् आवंटित की गई थी। आवंटन के बाद भूमि का मिन खसरा नंबर 353/1/1 रकबा 7 बीधा कायम हुआ। इसी रकबे में से 5 बीधा 8 बिस्वा भूमि काना को दिनांक 25-1-69 को आवंटित हुई। बाद में काना को 6 बीधा 7 बिस्वा भूमि ओर आवंटित हुई। भू प्रबंध अधिकारी ने दौराने सेटलमेंट वादी की भूमि काना के साथ मिलाकर उसके नाम दर्ज कर दी। जिसे काना ने गलत रूपसे अपीलांट को बेच दी। काना</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	<p>को विवादित आराजी बेचने का अधिकार नहीं था। परीक्षण न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन कर विस्तृत विवेचन व विश्लेषण करते हुये वाद डिक्री किया है, जिसका समर्थन अपीलीय न्यायालय ने भी किया है। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है और अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपील खारिज की जावे।</p> <p>विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।</p> <p>प्रकरण में वादी रेस्पोंडेंट द्वारा गलत मिलान क्षेत्रफल बनाने का कथन करते हुये इंद्राज दुरुस्ती व घोषणा का अनुतोष न्यायालय उपखंड अधिकारी में प्रस्तुत वाद में चाहा गया है। वादीगण रेस्पोंडेंट का कथन है कि रेस्पोंडेंट काना पुत्र छोगा को दिनांक 25-1-69 को 353/1/1 रकबा 5 बीधा 8 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी तथा इसके उपरांत वादीगण के पिता चंदा को दिनांक 20-3-70 को 353/1/1 में रकबा 7 बीधा का आवंटन हुआ तथा इसके पश्चात् प्रतिवादी सं.1 रेस्पोंडेंट काना को 353/1/15 के रकबा 6 बीधा 7 बिस्वा का आवंटन हुआ। रेस्पोंडेंट का वाद के पैरा 6 में निम्नानुसार कथन है :-</p> <p>“यह कि प्रतिवादी काना को यद्यपि दिनांक 20-3-70 को खसरा नंबर 353 के मिन नंबर 353/1/15 में 6 बीधा 7 बिस्वा भूमि का आवंटन हुआ है। पटवारी हल्का की जो रिपोर्ट प्रतिवादी काना के 20-3-70 को किये गये आवंटन के साथ पेश की गई है उससे स्पष्ट मालूम पडता है कि प्रतिवादी काना को पटवारी हल्का ने साजिश करके उसी भूमि को पहले चन्दा के नाम आवंटन करा दिया और बाद में प्रतिवादी काना के नाम आवंटन करा दिया। इस प्रकार प्रतिवादी का आवंटन आदेश प्रभाव शून्य है।”</p> <p>इस संदर्भ में वाद पत्र के पैरा नंबर 10 को भी उद्धृत करना उचित प्रतीत होता है :-“ यह कि ऐसी ही त्रुटि वादीगण के साथ हुई है। प्रतिवादी नं01 ने भू प्रबंध कर्मचारियों से मिलकर उसके वास्तविक रूप से अधिकार व आधिपत्य की भूमि खसरा नंबर 353/1/1 रकबा 5 बीधा 8 बिस्वा भूमि के बजाय खसरा नंबर 753 रकबा 2.74 हैक्टर का खाता बनवाकर पूरे खाते की खातेदारी अपने नाम अंकित करवा ली। भू प्रबंध कर्मचारियों ने यह कार्य करने के लिये प्रतिवादी नं01 के पक्ष में जो 6 बीधा 7 बिस्वा का कागजी आवंटन हुआ था व जिसका गलत रूप</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की जारी में जारी हुए
	<p>से नामांतरकरण भी 8-1-83 को जरिये नामांतरकरण 183 भरा गया था, उसका गलत रूप से सहारा ले लिया। जबकि जो राजस्व रिकोर्ड राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया था उसमें इस उक्त नामांतरकरण नंबर 183 दिनांक 8-1-83 में वर्णित भूमि खसरा नंबर 353/1/15 रकबा 6 बीधा 7 बिस्वा भूमि या तो अंकित ही नहीं थी या दूसरी जगह अंकित थी एवं मौके पर पश्चिम की ओर चंदा पुत्र छोगा मीणा का 7 बीधा रकबे का व उसके पूर्व में प्रतिवादी नं.1 का 5 बीधा 8 बिस्वा रकबे का खेत था। भू प्रबंध कर्मचारियों ने इन दोनों खेतों को मिलाकर नया खसरा सं. 753 रकबा 2.74 हैक्टर का खेत बना दिया।” परंतु पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से वाद पत्र में अंकित उक्त कथनों की पुष्टि नहीं होती है। वादीगण के पिता चन्दा द्वारा स्वयं आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में 353/1/1 रकबा 7 बीधा व 353/1/15 रकबा 5 बीधा 8 बिस्वा आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था तथा पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर 353/1/1 में 7 बीधा आवंटित हुई थी। वस्तुतः रेस्पो0 काना को भी खसरा नंबर 353/1/1 में रकबा 5 बीधा 8 बिस्वा दिनांक 25-1-69 को आवंटित हुई थी। दिनांक 21-3-70 को वादी रेस्पो0 चंदा व रेस्पो0 काना को क्रमशः 353/1/1 रकबा 7 बीधा व 353/1/15 रकबा 6 बीधा 7 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी। पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में 353/1/15 के बाबत् यह रिपोर्ट पेश की गई थी कि इस पर चन्दा का कब्जा है तथा उसने यह बताया कि वह काना से फसल बटाई पर काश्त कर रहा है तथा चन्दा का अतिक्रमण है। पटवारी की उक्त रिपोर्ट के उपरांत प्रतिवादी काना को उक्त भूमि का आवंटन हुआ। प्रतिवादी चन्दा के वारिसान का यह कथन सही प्रतीत नहीं होता है कि उसी भूमि को पहले चंदा के नाम आवंटन कर दिया और बाद में प्रति0 काना के नाम आवंटन करा दिया है। वस्तुतः आवंटन आदेश जारी होने के उपरांत सुपुदगीनामा के जरिये कब्जा हस्तांतरण की कार्यवाही भी की जाती है तथा यह तथ्य यदि प्रतिवादी चन्दा के ध्यान में भी तत्समय आया तो उन्हें उक्त आवंटन आदेश के विरुद्ध तत्काल अपील पेश कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिये था।</p> <p>वादी रेस्पो0 द्वारा वाद पत्र के पैरा 10 में यह कथन तो अवश्य किया है कि उसके आवंटित खसरा नंबर 353/1/1 रकबा 7 बीधा व काना को पूर्व आवंटित रकबा 5 बीधा 8 बिस्वा के दोनों खेत मिलाकर नया खसरा सं. 753 रकबा 2.74 हैक्टर बना दिया है। परंतु इस बाबत् कोई समुचित दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। नकल मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से स्पष्ट है कि साबिक खसरा नंबर 353/1/1 रकबा 5 बीधा 8 बिस्वा व 353/1/15 रकबा 6 बीधा 7 बिस्वा को मिलाकर हाल खसरा नंबर 753 रकबा 2.74 हैक्टर बनाया गया है तथा उक्त दोनों ही खसरा नंबरान प्रतिवादी काना की</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	<p>खातेदारी में दर्ज है तथा उसे विधिवत रूप से आवंटन होना रिकोर्ड से साबित है। न्यायालय उपखंड अधिकारी के द्वारा साबिक व हाल नक्शा ट्रेस तथा साबिक व हाल मिलान क्षेत्रफल के तुलनात्मक विश्लेषण किये बिना ही वादीगण का दावा केवल प्रतिवादी काना के इकबालिया जवाब तथा प्रतिवादी काना के खाते में साबिक रिकोर्ड के मुताबिक 1.35 हैक्टर भूमि प्रतिवादी काना के खाते में अधिक दर्ज होने के आधार पर डिक्री किया है। वस्तुतः प्रतिवादी काना के द्वारा सेटलमेंट उपरांत खाते में दर्ज 2.74 हेक्टर का समस्त रकबा प्रतिवादी सं.2 दुर्गालाल को विक्रय कर दिया था। अतः उक्त समस्त रकबे के विक्रय उपरांत उसके द्वारा वर्तमान वाद में अपने सगे भाई के वारिसान के नाम राजीनामा पेश कर यह कथना करना ही उसके नाम अधिक भूमि दर्ज हो गई है, कोई कानूनी महत्व नहीं रखता है। वस्तुतः काना द्वारा प्रतिवादी सं.2 दुर्गालाल के नाम निष्पादित राजिस्टर्ड विक्रय पत्र में यह कथन किया गया है कि उक्त विक्रय पत्र में वर्णित आराजियात उसके स्वयं की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की है जिस पर उसका स्वामित्व एवं आधिपत्य प्राप्त है तथा उक्त आराजी प्रत्येक प्रकार के भार व झगडों से मुक्त है जिसे हर प्रकार से अंतरित व हस्तांतरण करने का हक व अधिकार उसे प्राप्त है। इस प्रकार प्रतिवादी काना अपने अभिवचनों एव कथनों से ऐस्टोपड है तथा उसके द्वारा प्रस्तुत इकबालिया बयान विधिक दृष्टि से महत्व नहीं रखता है। दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में वादी द्वारा नकल मिलान क्षेत्रफल गलत बना दिये जाने का कथन साबित नहीं है। उपखंड अधिकारी के द्वारा अपर्याप्त साक्ष्य एवं तथ्यों के समुचित विश्लेषण किये बिना ही रेस्पों0 वादीगण को विवादित आराजीयात में 1.39 हैक्टर का खातेदार घोषित किया है। उक्त निर्णय के संदर्भित भाग को उद्धृत करना उचित होगा—“मुताबिक आवंटन आदेश खसरा नम्बर—353/1/1 वाके ग्राम ककोडिया में चन्दा पुत्र छोगा मीणा को दिनांक 20—3—1070 को 7 बीघा भूमि का आवंटन आदेश है जिस पर उसे विधिवत कब्जा दिया गया है। प्रतिवादी काना को आवंटन खसरा नम्बर—353/1/15 में 6 बीघा 8 बिस्वा का आवंटन है। इन भूमियों का नया नम्बर—753 रकबा 2.74 हेक्टेयर बनाया गया है। जमाबन्दी संवत 2048 से 2051 में इस आराजी को काना की खातेदारी में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा दिखाया गया है जबकि जमाबन्दी संवत 2034 से 2037 में काना मीणा के नाम खसरा नम्बर—353/1/1 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा अंकित किया गया है तथ चन्दा पुत्र छोगा के नाम भी खसरा नम्बर—353/1/1 रकबा 7 बीघा जमाबन्दी संवत 2034 से 2037 में दिखाया गया है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2043 से 2046 में खसरा नम्बर—353/1/1 के काश्त चन्दा पुत्र छोगा की अंकित</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	<p>की गयी है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पूर्व खसरा नम्बर-353/1/1 में 7 बीघा भूमि पर वादीगण के स्वर्गीय पिता चन्दा का कब्जा काश्त था जिस पर वर्तमान में वादीगण काबिज है। जिसे प्रतिवादी सं.-1 में राजीनामे में स्वीकार किया है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल ग्राम ककोडिया संवत् 2046 से 2065 खसरा संख्या-353/1/1 व 353/1/15 साबिक रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा व 6 बीघा 7 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर-753 रकबा 2.74 हेक्टेयर बनाया गया है जिसमें 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2034 से 2037 काना पुत्र छोगा मीणा की खातेदारी में 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि है जमाबन्दी सवत् 2048 लगायत 2051 में भू प्रबन्ध विभाग मे काना मीणा की खातेदारी में खसरा नम्बर-753 रकबा 2.74 हेक्टेयर अंकित कर दिया है जबकि पूर्व जमाबन्दी के मुताबिक 5 बीघा 8 बिस्वा के बराबर 1.35 हेक्टेयर भूमि अंकित करनी चाहिये थी। इस प्रकार भू प्रबन्ध विभाग द्वारा काना पुत्र छोगा मीणा की खातेदारी में 1.39 हेक्टेयर भूमि का इन्द्राज गलत किया है। प्रतिवादी संख्या-2 की पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को भी बाद सुनवाई पक्षकारान की उपस्थिति में दिनांक 28-4-1995 को खारिज कर दिया गया है तथा उसके उज्र को समाप्त नहीं किया है।</p> <p>“अतः दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खसरा नंबर 753 रकबा 2.74 हैक्टेयर वाके ग्राम ककोडिया की भूमि पश्चिमी भाग में से रकबा 1.39 हैक्टेयर वादीगण की खातेदारी भूमि है। राजस्व रिकोर्ड में इस भूमि को प्रतिवादी दुर्गालाल की खातेदारी से कम किया जाकर वादीगण की खातेदारी में अंकित किया जावे। डिक्री मुरतिब हो। फैसला सुनाया गया।”</p> <p>उपखंड अधिकारी के द्वारा केवल इस आधार पर इन्द्राज दुरुस्ती व घोषणात्मक वाद स्वीकार कर ला कि जमाबन्दी संवत् 2034-37 में काना की खातेदारी में 5 बीघा 8 बिस्वा दर्ज थी तथा संवत् 2048-51 की जमाबन्दी में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा काना की खातेदारी में खसरा नंबर 753 रकबा 2.74 हैक्टेयर दर्ज कर दी जबकि पूर्व जमाबन्दी के अनुसार 5 बीघा 8 बिस्वा अर्थात् 1.35 हैक्टेयर भूमि दर्ज करनी चाहिये थी व 1.39 हैक्टेयर का इन्द्राज गलत दर्ज किया गया है तथा उक्त आधार पर खसरा नंबर 753 रकबा 2.74 हैक्टेयर में से पश्चिमी भाग में से रकबा 1.39 हैक्टेयर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। उपखंड अधिकारी के द्वारा इस तथ्य की अनदेखी की गई कि प्रतिवादी काना को दिनांक 25-1-69 को 353/1/1 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा का आवंटन हुआ तथा 2034-36 की जमाबन्दी में खातेदार दर्ज है तथा 20-3-70 को</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	<p>353/1/15 में 6 बीधा 7 बिस्वा का आवंटन हुआ है। सेटलमेंट के द्वारा जो नकल मिलान क्षेत्रफल बनाया गया है वह भी काना को आवंटित/खातेदारी में दर्ज उक्त दोनों विशिष्ट खसरा नंबर 353/1/1 रकबा 5 बीधा 8 बिस्वा व 353/1/15 रकबा 6 बीधा 7 बिस्वा बाबत् है। वादीगण के पिता चन्दा को जो भूमि आवंटित हुई है वह 353/1/1 है। अतः ऐसी स्थिति में पूर्ण रूपसे अस्पष्ट व अपूर्ण साक्ष्य तथा उपलब्ध साक्ष्य के समुचित विश्लेषण के बिना इंद्राज दुरुस्ती की प्रार्थना को स्वीकार करते हुये खातेदार काश्तकार घोषित करने का निर्णय समझ से परे है।</p> <p>प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि यदि वादीगण विवादित आराजियात संबंधित नकल मिलान क्षेत्रफल को त्रुटिपूर्ण मानकर उसमें दुरुस्ती चाहते हैं तो उन्हें सर्वप्रथम यह बताना पड़ेगा कि उनको आवंटित साबिक खसरा नंर 353/1/1 रकबा 7 बीधा के हाल खसरा नंबर क्या बने है तथा उसमें यदि रकबा कम हुआ तो वह सेटलमेंट उपरांत किस रकबे में बढ़ा है। परंतु उनके द्वारा स्वयं के द्वारा धारित भूमि का साबिक व हाल नकल मिलान क्षेत्रफल तथा साबिक व हाल तरमीमशुदा नंबर ट्रेस की प्रति ही पेश नहीं की गई है। रेस्पो0 काना को दिनांक 25-1-69 को 5 बीधा 8 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी तथा इसके बाबत् खातेदार अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं तथा खसरा नंबर 353/1/15 में 6 बीधा 7 बिस्वा रकबे का आवंटन 20-3-70 को हुआ है। वादीगण उक्त आवंटन के तथ्य को अपने दावे की मद सं. 6 व 10 में स्वीकार करते हैं परंतु यह कहकर इसे नकारने का प्रयास करते हैं कि 20-3-70 को वादीगण को आवंटन हो जाने के उपरांत उसी दिन अर्थात् 20-3-70 को ही रेस्पो/प्रतिवादी को उक्त भूमि का आवंटन राजस्व कर्मियों से साजिश करके कर दिया गया। परंतु वादीगण द्वारा आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से यह कथन साबित नहीं होता है। वादीगण द्वारा आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में खसरा नंबर 353/1/1 रकबा 7 बीधा व 353/1/15 रकबा 6 बीधा 7 बिस्वा हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमें से केवल 353/1/1 रकबा 7 बीधा का आवंटन हुआ था तथा उसी दिनांक 20-3-70 को प्रतिवादी सं.1 काना को भी 353/1/15 रकबा 6 बीधा 7 बिस्वा का आवंटन हुआ था। अतः वादीगण का यह कथन पूर्ण रूप से अविश्वसनीय प्रतीत होता है कि वादीगण के पिता चन्दा को आवंटित भूमि का डबल आवंटन प्रतिवादी काना के नाम कर दिया गया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जब तक आवंटन को सक्षम अधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता तब तक उसे निरस्त नहीं माना जा सकता है। रेस्पो0 काना के पक्ष में आवंटन दिनांक 20-3-70 को</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	<p>किया गया है जोकि आदिनांक तक किसी भी न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया जाना पत्रावली से पाया जाता है। जहां तक उक्त आवंटन का राजस्व अभिलेख में अमल करने का प्रश्न है वह राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों का दायित्व है कि वे आवंटन आदेश का समय पर राजस्व अभिलेख में अंकन करे। अंकन नहीं करने से रेस्पोंडेंट कानाराम के पक्ष में किये गये आवंटन की वैधानिकता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।</p> <p>यह दायित्व वादी का था कि वो दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से वाद पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि कराता। वादी के द्वारा तरमीमशुदा साबिक नक्शा ट्रेस जिसमें उसको 353/1/1 रकबा 7 बीधा का अंकन हो तथा प्रतिवादी काना को आवंटित 353/1/11 व 353/1/15 के रकबे का अंकन हो, की प्रतियां पेश नहीं की है। इसके अतिरिक्त चूंकि मुख्य अनुतोष सेटलमेंट उपरांत तैया नकल मिलान क्षेत्रफल को त्रुटिपूर्ण बताते हुये हाल खसरा नंबर 753 के पश्चिमी भाग में खातेदार काश्तकार करने बाबत् था, अतः इस बाबत् प्रतिवादी राजस्थान सरकार का जवाबदावा भी अपेक्षित था। परंतु उक्त दस्तावेजों के अभाव में किसी प्रकार का निष्कर्ष निकालना संभव नहीं था। प्रतिवादी काना के नाम खातेदारी में दर्ज तथा उसके नाम आवंटित रकबे क्रमशः 5 बीधा 8 बिस्वा तथा 6 बीधा 7 बिस्वा रकबा 11 बीधा 15 बिस्वा के हाल नम्बरान खसरा नंबर 753 कुल रकबा 2.74 हैक्टर बना है। अतः सेटलमेंट उपरांत रेस्पोंडेंट काना के नाम अधिक भूमि दर्ज हुई हो, साबित नहीं है। सेटलमेंट द्वारा यदि पूर्व आवंटित 353/1/15 रकबा 6 बीधा 7 बिस्वा को बिना सक्षम प्रक्रिया के उसके खातों में शामिल की गई हो तो उसके बाबत् पृथक से आपत्ति पेश की जा सकती है। परंतु स्पष्टतः हाल खसरा नंबर 753 साबिक खसरा नंबर 353/1/1 व 353/1/15 से बनना पाया जाता है। समुचित दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में इसका खंडन नहीं होता है तथा इस कारण हाल खसरा नंबर 753 में रेस्पोंडेंट काना का रकबा 1.39 हैक्टर बढ़ जाने का आधार लेकर नकल मिलान क्षेत्रफल बाबत् इंड्राज दुरुस्ती स्वीकार्य नहीं है।</p> <p>इस प्रकार कानाराम के पास 353/1/1 में रकबा 5 बीधा 8 बिस्वा तथा 20-3-70 को 353/1/15 में आवंटित रकबा 6 बीधा 7 बिस्वा कुल 11 बीधा 15 बिस्वा भूमि थी तथा सेटलमेंट उपरांत उक्त साबिक खसरा नंबरान के हाल खसरा नंबर 753 रकबा 2.74 हैक्टर बनाये है। वादीगण द्वारा सेटलमेंट द्वारा जारी पर्चा लगान बाबत् कोई आपत्ति पेश नहीं की गई। अतः न्यायालय उपखंड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23-8-97 के द्वारा कानाराम के नाम जमाबंदी में 353/1/1 रकबा 5</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की जारी में जारी हुए
	<p>बीधा 8 बिस्वा भूमि मानकर शेष भूमि पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया है वह त्रुटिपूर्ण है।</p> <p>रेस्पो0 अभिभाषक की यह दलील कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा समवर्ती निष्कर्ष दिये गये है, जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है परंतु उपरोक्त विवेचन/विनिश्चयन से स्पष्ट है कि दोनों ही न्यायालय के निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के समुचित विश्लेषण पर आधारित नहीं होकर पूर्ण रूप से त्रुटिपूर्ण है, जोकि पूर्ण रूपसे द्वितीय अपील के सतर पर खारिज योग्य है। अपीलांट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि का क्रय किया गया है। अतः उक्त विक्रय पत्र के आधार पर सक्षम सिविल न्यायालय से विक्रय पत्र को खारिज कराये बिना वादीगण को कोई अधिकार हासिल नहीं हो सकते है।</p> <p>उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी तथा सहायक कलेक्टर टोंक के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17-2-05 एवं दिनांक 23-8-97 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लोटाया जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार दाखित दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>(सुरेन्द्र मोहश्वरी) सदस्य</p> <p>(आर.के.जायसवाल) सदस्य</p>	

अपील /डिक्री/ टीए/ 1663/ 2005/ बैंक
दूर्गालाल बनाम किशनलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए